

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2010

संख्या का०आ० 89/के०अ० 53/2005/धारा० 78/2010.—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), की धारा 78 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय है, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53);

(2) इनमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. (1) राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय चण्डीगढ़ में या किसी स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए।

(2) राज्य प्राधिकरण की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(3) राज्य प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति पांच सदस्यों की होगी। यदि कोई बैठक गणपूर्ति की कमी के कारण स्थगित होती है तो उत्तरवर्ती बैठक के लिए गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(4) राज्य प्राधिकरण, कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को विशिष्ट राय हेतु अपनी बैठक में बुला सकता है।

4. (1) राज्य प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी जब तक कि उसे दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा हटा न दिया जाए।

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पर ही सदस्य का पद धारण करेगा। राज्य सरकार किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद हटा सकती है।

(3) राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य, राज्य प्राधिकरण के सदस्य के पद से राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्याग-पत्र दे सकता है तथा ऐसा त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

(4) जब राज्य प्राधिकरण में सदस्य के पद की कोई रिक्ति त्याग-पत्र, अयोग्यता, मृत्यु या अन्यथा से उत्पन्न होती है, तो रिक्ति नए नामांकन द्वारा भरी जाएगी।

संक्षिप्त नाम।

परिभाषाएं।

राज्य प्राधिकरण
की बैठक तथा
गणपूर्ति। धारा
15(1)

राज्य प्राधिकरण
के सदस्यों की
पदावधि तथा सेवा
की शर्तें। धारा
11(5)

(5) गैर सरकारी सदस्यों को बैठक भत्ता तथा यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जायेगा जिसका निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सलाहकार समिति
के सदस्य की
अवधि तथा भत्ते।

5. धारा 17 के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति की अवधि ऐसी होगी जो इसके गठन के आदेश में विनिश्चित की जाए। सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्ते दिए जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं।

सचिवालय की
स्थापना। धारा 78

6. (1) राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य प्राधिकरण के लिए एक सचिवालय होगा।

(2) ये राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की गई विस्तृत नीतियों के अधीन कार्य करेगा तथा जो आपदा प्रबन्धन की नीतियों, बचाव, कार्यप्रणाली तथा प्रभाव कम करने सम्बन्धी उपायों के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए पत्राचार तथा आयोजन तथा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के विकास के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) ये उत्तरदायी होगा कि वह —

- (क) राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को उसके कार्यों को पूरा करने में सहायता करें ;
- (ख) राज्य कार्यकारी समिति की बैठक से सम्बन्धित पूरा रिकार्ड रखें ;
- (ग) आगे कार्यवाही करने हेतु ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को समय पर लागू करें ;
- (घ) ऐसे अन्य कार्य करने हेतु जो कार्यकारी के अध्यक्ष उनसे कार्य करने की मांग करें।

(4) राज्य सरकार समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परामर्शदाताओं की सेवाएं ले सकेगी। परामर्शदाताओं की कार्यावधि तथा सेवा शर्तें ऐसी होगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएंगी। प्रथम समय कार्यावधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी जो एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(5) अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी जो राज्य प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक समझे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई प्रतिनियुक्ति की निबन्धन तथा शर्तों के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर लिए जाएंगे।

राज्य कार्यकारी
समिति के अध्यक्ष
की शक्तियां तथा
कृत्य।
धारा 20(3)

7. (1) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा :

परन्तु समिति की किसी बैठक का सभापतित्व करने की उसकी असमर्थता की दशा में, वह किसी एक सदस्य को बैठक का सभापतित्व करने हेतु मनोनीत करेगा।

(2) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, आपातकाल की दशा में राज्य कार्यकारी समिति की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन होगा।

